रेल पहिया कारखाना

रेल मंत्रालय

भंडार नियंत्रक का कार्यालय

यलहंका, बेंगलूरु- 560064

विषय : रेल पहिया कारखाना में विक्रेताओं के पंजीयन हेतु अनुपालन की जाने वाली नीति एवं प्रक्रियाएं –

1.0 **नीति** :

1.1 **लघु उद्योग** :

1.1.1 **एन एस आई सी, एम एस ई के साथ पंजीकृत लघु उद्योग :** एन एस आई सी, एम एस ई के साथ पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों की ऑटोमेटिक पंजीकरण योजना के अधीन कोई भी विक्रेता जो एन एस आई सी के साथ पंजीकृत है उसे रेल पहिया कारखाना के साथ पंजीकरण प्रदान किया जाना चाहिए । ऐसा करते समय निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाना चाहिए -

i) विक्रेता द्वारा प्रस्तुत एन एस आई सी प्रमाण-पत्र को एन एस आई सी के वेबसाइट www.nsicspronline.com के साथ सत्यापन किया जाएगा ।

ii) ऐसे नए पंजीकरण की मंजूरी प्रावधिक रूप से 02 वर्षों की अवधि के लिए दी जाएगी ।

iii) पंजीयन की मौद्रिक सीमा एन एस आई सी पंजीयन के समान ही होगी ।

iV) जो विक्रेता 10 लाख के मौद्रिक सीमा से अधिक का पंजीकरण कराना चाहते हैं उनके लिए **ISO 9000** प्रमाणन आवश्यक होगा ।

V) यदि एन एस आई सी पंजीयन प्रमाण-पत्र में मौद्रिक सीमा 'कोई सीमा नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है तो, रेल पहिया कारखाना के साथ पंजीकरण के लिए मौद्रिक सीमा 40 लाख तय किया जाना चाहिए ।

1.1.2 लघु उद्योग इकाईयों को छोड़कर अन्य निर्माता अर्थात मध्यम अथवा दीर्घ उद्योग के अतिरिक्त निर्माता : फर्मों की ग्रेडिंग करके पंजीकरण किया जाना चाहिए :

a) जो प्रत्येक 40 लाख एवं अधिक मूल्यों के मांगों की आपूर्ति करने में सक्षम हो ।

b) जो प्रत्येक 10 लाख से 40 लाख तक मूल्यों की मांगों की आपूर्ति करने में सक्षम हो ।

c) जो प्रत्येक 5 लाख से 10 लाख तक मूल्यों की मांगों की आपूर्ति करने में सक्षम हो ।

d) जो प्रत्येक 1 लाख से 5 लाख तक की मूल्यों की मांगों की आपूर्ति करने में सक्षम हो ।

e) जो प्रत्येक 1 लाख मूल्य तक की मांगों की आपूर्ति करने में सक्षम हो ।

बैंकर की रिपोर्ट, फर्म की क्षमता एवं सक्षमता और बैलेंस शीट में दर्शाए गए अन्य वित्तीय सूचनाओं, लाभ एवं हानि विवरण को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक सीमाएँ सावधानीपूर्वक निर्धारित की जानी चाहिए ।

फर्मों के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण सहित उसकी क्षमता व सक्षमता आँकने के लिए कम से कम कनि. प्रशा. ग्रे./ वरि.वेतनमान श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा पूर्व-निरीक्षण किया जाना चाहिए ।

ऐसे पूर्व निरीक्षण करने के लिए डी जी एस व डी, आर डी एस ओ, राईट्स के निरीक्षण विंग से भी सहायता ले ली जाए ।

2.0 क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाईयों के साथ पंजीकृत विक्रेताएँ –

2.1 फर्म जो पूर्व-निरीक्षित हों और किसी रेलवे की अनुमोदित सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया हो तो उसे रेल पहिया कारखाना की अनुमोदित सूची में भी शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा पंजीकृत किए जाने के आधार पर रेल पहिया कारखाना में पंजीकरण की मंजूरी प्रदान करते समय निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाए :

a) क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ किया गया पंजीयन नया और वैध हो।
b) क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ किए गए पंजीकरण की वैधता की तारीख से रेल पहिया कारखाना के पंजीयन अवधि की तारीख अधिक नहीं होनी चाहिए।
c) क्षेत्रीय रेलवे के साथ फर्म के पंजीयन की प्रामाणिकता क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ की जानी चाहिए।
d) रेल पहिया कारखाना के साथ पंजीयन की मौद्रिक सीमा भी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ की गई मौद्रिक सीमा के समान होनी चाहिए।

3.0 प्राधिकृत एजेंट :

3.1 रेल पहिया कारखाना के साथ पंजीकरण के लिए, विक्रेता को प्राधिकृत एजेंट माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करता हो :
'केवल निर्माता द्वारा जारी एक प्राधिकरण कि उस एजेंट को रेल पहिया कारखाना की निविदाओं में अनन्य रूप से भाग लेने हेतु एक निश्चित अवधि के लिए प्राधिकृत किया गया है और एजेंट द्वारा समय पर आपूर्ति करने और वारंटी सहित सही उत्पाद देने की वारंटी निर्माता देता है'।

3.2 पंजीकरण कराने के लिए इच्छुक एजेंटों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ अपने प्रधान निर्माता द्वारा जारी वर्तमान एवं वैध प्राधिकृत डीलरशिप/एजेंसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.3 जिन उत्पादों के लिए आवेदन करने वाला विक्रेता संबंधित प्रधान निर्माता से प्राधिकृत डीलरशिप/एजेंसी के प्रमाण-पत्र (वर्तमान एवं वैध) प्रस्तुत करता है, उन्हीं के आधार पर पंजीकरण के लिए ट्रेड समूह निर्धारित किया जाना चाहिए। कनि.प्र./वरि.वे. श्रेणी के भंडार अधिकारी द्वारा उनके परिसर में जाकर क्षमता व सक्षमता संबंधी आंकलन निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त करने के बाद ही इन फर्मों की पंजीयन की मंजूरी प्रदान की जाए। बैंकर की रिपोर्ट, फर्म की क्षमता एवं सक्षमता और बैलेंस शीट में दर्शाए गए वित्तीय सूचनाओं, लाभ एवं हानि विवरण को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक पंजीकरण की मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित की जानी चाहिए।

3.4 प्राधिकृत डीलर/एजेंट जो पहले से क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ पंजीकृत हैं उन्हें रेल पहिया कारखाना के साथ पंजीयन के लिए पैरा 3.0 में दर्शाई गई शर्तों पर विचार किया जाए।

4.0 **<u>सामान्य :</u>**

a) रेलवे बोर्ड के वर्तमान अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, चिरेका, डिरेका, सडिका, कोर, आर डी एस ओ, रेपका के मुबिइंजी, मुयांइंजी द्वारा अनुमोदित स्त्रोतों या किसी अन्य नामित एजेंसी से अनिवार्यतः खरीदे जाने के लिए निर्धारित सामग्रियों वाले किसी ट्रेड ग्रूप हेतु फर्म को तब तक पंजीकरण नहीं दिया जाएगा जब तक फर्म स्वयं ऐसे अनुमोदित स्त्रोतों में से एक न हो। ऐसे में पंजीकरण उसी ट्रेड ग्रूप तक ही प्रतिबंधित होगा जिसके लिए फर्म स्वयं एक अनुमोदित स्त्रोत हो।

b) वर्तमान कार्यालय आदेश में निहित नीतियों के अनुसार अनावश्यक कार्य को कम करने के लिए, किसी फर्म में जाकर निरीक्षण करने के लिए किसी कनि.प्र.ग्रे./वरि.वे. श्रेणी के अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय तभी लिया जाना चाहिए जब फर्म को रेलवे के साथ पंजीयन के लिए प्रथम दृष्ट्या योग्य पाया गया हो।

5.0. सक्षमता स्तर : रेल पहिया कारखाना की वर्तमान पद्यति के अनुसार, सक्षमता स्तर निम्न प्रकार होगा :

a) नए पंजीकरण और एन एस आई सी, एम एस ई के साथ पंजीकृत फर्मों के पंजीयन के नवीकरण के लिए उप मु.सा.प्र./I सक्षम प्राधिकारी होंगे।
b) नए पंजीकरण और क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ पंजीकृत फर्मों के नवीकरण के लिए मु.सा.प्र. सक्षम प्राधिकारी होंगे।
c) रेल पहिया कारखाना के कनि.प्र.ग्रे./वरि.वे. श्रेणी के भंडार अधिकारियों द्वारा की गई निरीक्षण के आधार पर स्वीकृत फर्मों के नए पंजीयन के लिए भंडार नियंत्रक सक्षम प्राधिकारी होंगे, फिर भी इस श्रेणी में पंजीयन के नवीकरण के लिए मु.सा.प्र. सक्षम प्राधिकारी होंगे।

6.0. नए पंजीयन की वैधता अवधि : सभी नए पंजीयन अनंतिम होंगे और केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे।

7.0. पंजीयन का नवीकरण :

7.1. आरंभिक, अनंतिम 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर फर्मों को दस्तावेज, अर्थात a) डीएससी विवरण सहित आई आर ई पी एस पंजीयन विवरण b) पिछले 3 वर्ष का बैलेंस शीट एवं लाभ और हानि विवरण c) नवीनतम बिजली बिल d) नवीनतम टेलीफोन बिल e) वैट प्रमाण-पत्र f) ई डी प्रमाण-पत्र g) एम एस एम ई पंजीकरण प्रमाण-पत्र h) वैध एन एस आई सी प्रमाण-पत्र i) वैध आई एस ओ प्रमाण-पत्र j) अन्य रेलवे पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि कोई k) कार्य निष्पादन रिपोर्ट – अन्य फर्मों को आपूर्ति किए गए मदों के क्र.आ. की प्रति, प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त को देखने के बाद यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो अगले 03 वर्षों के लिए नवीकरण की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

7.2. एन एस आई सी प्रत्येक 02 वर्षों में अपने पंजीयन की समीक्षा करती है और अगली समीक्षा की तारीख दर्शाते हुए प्रमाण-पत्र प्रदान करती है। तदनुसार, एन एस आई सी पंजीकृत इकाईयों को जिस तारीख तक नवीकरण करने के लिए मंजूरी दी गई हो वह एन एस आई सी द्वारा अगली समीक्षा की उपर्युक्त तारीख से आगे नहीं होना चाहिए। एन एस आई सी के साथ पंजीकृत फर्मों के खराब प्रदर्शन की स्थिति में, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर और एन एस आई सी को इस संबंध में पर्याप्त विवरण देते हुए उनका पंजीकरण समाप्त किया जाए।

7.3. नवीकरण के समय पंजीयन की मौद्रिक सीमा का पुनर्निधारण -

a) जहाँ तक एन एस आई सी पंजीकृत फर्मों का संबंध है, मौद्रिक सीमा उतना ही होगा जितना एन एस आई सी पंजीयन प्रमाण-पत्र में दिया गया है। जिसके लिए मौद्रिक सीमा नहीं दिया गया है उसे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाए, कृपया बोर्ड का दिनांक 08.11.2002 का पत्र सं.2002/आरएस (जी)/753/1 देखें।
b) बाकी के लिए, मौद्रिक सीमा पिछले 03 वर्षों के औसत वार्षिक कारोबार के 1/3 पर पुनर्निर्धारित किया जाए। इसके लिए महाप्रबंधक/आईसीएफ-ओएसडी/दपरे के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी इसकी सिफारिश की गई है।

8.0. नए फर्मों की पंजीकरण हेतु प्रक्रिया -

8.1. पंजीयन प्रदान करने हेतु भंडार नियंत्रक को अनुरोध करते हुए निर्धारित प्रपत्र और अपने पत्र शीर्ष में फर्म से आवेदन प्राप्त होने पर, फर्म को रेपका के वेबसाईट www.rwf.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध आवेदन को निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा।

8.2. फर्म द्वारा विधिवत भरा हुआ आवेदन प्राप्त होने पर भंडार नियंत्रक के कार्यालय में इसकी जाँच की जाएगी और यदि कोई कमियाँ पाई जाती हैं तो इन्हें इंगित करते हुए मानक प्रपत्र में पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

8.3. फर्म द्वारा सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद, फर्म की आर्थिक स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुलग्नक-3 में दिए गए मानक प्रपत्र में फर्म के बैंकर को गोपनीय पत्र लिखा जाएगा।

8.4. यदि फर्म पहले से ही एन एस आई सी, एम एस ई अथवा किसी अन्य क्षेत्रीय रेलवे अथवा रेलवे के किसी उत्पादन इकाई के साथ पंजीकृत है तो, अनुलग्नक-4 में दिए गए मानक प्रपत्र में फर्म के ग्रूप के विवरण और फर्म की निष्पादन रिपोर्ट संबंधी पुष्टीकरण उस एजेंसी से गोपनीय तरीके से प्राप्त किया जाएगा जिसने फर्म का पंजीयन किया है। जहाँ तक एन एस आई सी पंजीकृत इकाईयों का संबंध है, एन एस आई सी के वेबसाईट, www.nsicpronline.com पर पंजीयन का सत्यापन किया जाएगा।

8.5. यदि फर्म ऊपर दर्शाए गए किसी भी एजेंसी के साथ पंजीकृत नहीं है तो, फर्म परिसर का निरीक्षण करने के लिए भंडार नियंत्रक द्वारा भंडार विभाग/ रेपका के किसी (मुख्यालय का कनि.प्र.ग्रे./वरि.वे. अधिकारी) अधिकारी को नामित करेगा । यदि फर्म रेल पहिया कारखाना के कार्य क्षेत्र से बाहर स्थित है तो वे आवश्यक तौर पर रेल पहिया कारखाना के अधिकार क्षेत्र से बाहर पंजीयन कराएं, और रेपका के अधिकारी द्वारा इस प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा । मुख्यालय का नामित अधिकारी उनमें से एक होगा जो पंजीयन के लिए आवेदक फर्म द्वारा अनुरोध किए गए ट्रेड ग्रूप डील करता है । वह फर्म की तकनीकी उपयुक्तता और वित्तीय क्षमता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

8.6. नामित अधिकारी से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अनुलग्नक-5 में दर्शाए गए प्रपत्र में पंजीयन अनुभाग विवरण भरेगा और ट्रेड ग्रूप आबंटित करने के लिए संबंधित क्रय अधिकारियों (कनि.प्र.ग्रे./वरि.ग्रे.) से सिफारिश प्राप्त करेगा । इसके बाद, मुख्य सामग्री प्रबंधक से मदों की खरीद संबंधी सिफारिश प्राप्त की जाएगी तथा पंजीयन संबंधी अंतिम निर्णय के लिए भंडार नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा ।

8.7. यदि फर्म किसी क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन इकाई अथवा एन एस आई सी के साथ पंजीकृत है तो फर्म का कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा । एन एस आई सी के साथ पंजीकृत फर्म के लिए अनुलग्नक-5 को विधिवत भरकर संबंधित कनि.प्र.ग्रे. अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । ट्रेड समूह डील करने वाले क्रय अधिकारियों को उनकी सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया जाएगा इसके बाद पंजीयन/मौद्रिक सीमा संबंधी अंतिम निर्णय के लिए उप मु.सा.प्र./I को प्रस्तुत किया जाएगा । यदि फर्म क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन इकाई के साथ पंजीकृत है तो अनुलग्नक-5 को विधिवत भर कर फाइल ट्रेड समूह डील करने वाले संबंधित कनि.प्र.ग्रे. के क्रय अधिकारियों को उनकी सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद पंजीयन एवं मौद्रिक सीमा संबंधी अंतिम निर्णय के लिए मु.सा.प्र. को प्रस्तुत किया जाएगा ।

8.8 ज्योंही सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विक्रेता के पंजीयन से संबंधित आदेश दिया जाता है त्योंही फर्म को दो वर्षों के लिए पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए सूचित किया जाए । पंजीयन शुल्क प्राप्त होने पर पंजीयन सं., आपूर्तिकर्ता सं., ट्रेड समूह तथा मौद्रिक सीमा आवंटित करते हुए पंजीयन पत्र जारी किया जाएगा ।

8.9 इसे भंडार नियंत्रक के अनुमोदन से जारी किया जाता है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।